तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
	SDO प्रा. पत्र प्र. सं. 04/2023 Online No. 2023/5 Smt. गीता देवी/कालू वगै.
29/3/23	पत्रावली पेश हुयी। जबकि प्रार्थिया अनुपस्थित। विपक्षी संख्या 2 व 4 की तामील हेतु समाचार पत्र द्वारा तामील हेतु एक आदेश किया जाता है। विपक्षी संख्या 2 व 4 की तामील हेतु दिनांक 25/4/2023 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा
25/4/23	पत्रावली पेश हुयी। राजस्थान मंत्रालयिक कार्मिक ... हड़ताल पर होने ... अभियान अधिकारी ... प्रशासन गांवों ... अभियान वर्ष 2023 मंहगाई राहत ... आरसी/... में होने से पत्रावली सुनवाई हेतु दिनांक 13/6/23 को पेश हो। आज्ञा से रीडर
13/6/23	पत्रावली पेश हुयी। प्रार्थिया अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी संख्या 2 व 4 की ओर से इकबालिया बयान एडवोकेट ... चौधरी का वकालतनामा पेश, शामिल किया गया। प्रार्थिया अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। विपक्षी सं. 2 व 4 अधिवक्ता, विपक्षी ने कोई आपत्ति नहीं की है अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 CrPC का स्वीकार किया जाता है निर्णय पृथक से लिखकर ... सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी– विनोद कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
04/2023	06.01.2023	13.06.2023

अनवान

1. श्रीमती गीता देवी पत्नी स्व0 श्री बालू जाट निवासी देवा का खेड़ा, वार्ड नंबर 13, तहसील व जिला भीलवाड़ा–राज0

प्रार्थिया

बनाम

1. कालू पुत्र श्री नारायण जाट आयु 30 वर्ष निवासी देवा का खेड़ा, वार्ड नंबर 13, तहसील व जिला भीलवाड़ा
2. रतन लाल पुत्र श्री शंकर लाल दरोगा निवासी मंगरोप, तहसील व जिला भीलवाड़ा
3. शम्भू पुत्र श्री सोना जाट आयु 30 वर्ष निवासी जोधामण्डल का खेड़ा, ट्रांसपोर्ट नगर, भीलवाड़ा
4. खेमराज जाट निवासी ग्राम सालरिया पंचायत समिति भोली, तहसील व जिला भीलवाड़ा
5. शंकर लाल पुत्र श्री हीरा लाल जाट निवासी जोधामण्डल का खेड़ा, ट्रांसपोर्ट नगर, भीलवाड़ा
6. राम लाल पुत्र श्री मांगी लाल जाट आयु 50 वर्ष निवासी देवा का खेड़ा, वार्ड नंबर 13, तहसील व जिला भीलवाड़ा
7. भैरू लाल पुत्र श्री कालू जाट निवासी देवा का खेड़ा, वार्ड नंबर 13, तहसील व जिला भीलवाड़ा
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जिला भीलवाड़ा

अप्रार्थीगण

उपस्थिति :– अधिवक्ता श्री नवरतन जोशी – प्रार्थी
अधिवक्ता श्री अमित चौधरी – अप्रार्थी सं. 02 व 04
एक तरफा– शेष अप्रार्थीगण

–:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 एवं 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम ::–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम सालरिया, पटवार हल्का मण्डपिया, भू.अ.नि. क्षेत्र आटूण, तहसील व जिला भीलवाड़ा में जमाबंदी संवत् 2073–76 के नये खाता संख्या 130 की अभिलिखित आराजियात आराजी सं. 203, 204/1, कुल किता 02 कुल रकबा 1.0748 है0, खाता संख्या 28 की

6

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

अभिलिखित आराजियात आराजी सं. 71, 72, 72/1 कुल किता 03 कुल रकबा 1.8841 है0 व खाता संख्या 29 की अभिलिखित आराजियात आराजी सं. 62, 63, 66, 67/1 कुल किता 04 कुल रकबा 2.8577 है0 भूमि राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थिया के नाम पर दर्ज है तथा विपक्षीगण प्रार्थिया की उपरोक्त वर्णित आराजियात के पड़ौसी हैं। प्रार्थिया की उक्त आराजियात एवं विपक्षीगण की आराजियात के मध्य पत्थरगढ़ी नहीं होने से प्रार्थिया एवं विपक्षीगण के मध्य सीमा संबंधी विवाद बना रहता है तथा प्रार्थिया अपनी आराजियात का समुचित विकास नहीं करवा पा रही है। अतः प्रार्थिया अपनी उपरोक्त वर्णित आराजियात की पत्थरगढ़ी कराना चाहती है।

इस पर प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आज दिनांक 13.06.2023 को अप्रार्थी सं. 02 व 04 उपस्थित हुये, जिनको प्रार्थीगण की खातेदार भूमि की पत्थरगढ़ी किये जाने से कोई आपत्ति नहीं है। शेष अप्रार्थीगण के बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। हाजिर वकील प्रार्थिया द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की इस्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थिया द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढ़ी का है व प्रार्थिया अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराना चाहती है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। प्रार्थिया की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थिया आराजियात जैर–बहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजियात जैर–बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढ़ी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के कम में प्रार्थिया प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार सह–काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने का अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भीलवाड़ा को सीमांकन (पत्थरगढ़ी) कराने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार भीलवाड़ा को आदेश दिया जाता है कि मौजा ग्राम सालरिया, पटवार हल्का मण्डपिया, भू.अ.नि. क्षेत्र आटूण, तहसील व जिला भीलवाड़ा में जमाबंदी संवत् 2073–76 के नये खाता संख्या 130 की अभिलिखित आराजियात आराजी सं. 203, 204/1, कुल किता 02 कुल रकबा 1.0748 है0, खाता संख्या 28 की अभिलिखित आराजियात आराजी सं. 71, 72, 72/1 कुल किता 03 कुल रकबा 1.8841 है0 व खाता संख्या 29 की अभिलिखित आराजियात आराजी सं. 62, 63, 66, 67/1 कुल किता 04 कुल रकबा 2.8577 है0 भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खड़ी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिह्न स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढ़ी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। सीमांकन (पत्थरगढ़ी) हेतु तहसीलदार भीलवाड़ा को 1000/–रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नरी शुल्क का रिकॉर्ड विधिवत् संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

आवश्यक रूप से पेश करें तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थिया से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार भीलवाड़ा को तहरीर जारी करें।

पत्रावली निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 13.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा